Anta an Isius The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 526]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 26, 2009/चैत्र 5, 1931

No., 526]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 26, 2009/CHAITRA 5, 1931

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजपार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2009

का.आ. 862(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्रालय (सडक खंड) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 393 (अ) तारीख 12 मई, 1998, और संख्यांक का.आ. 78 (अ) तारीख 4 फरवरी, 1999, द्वारा तमिलनाडू राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 45 के 27.800 कि.मी. से 122.000 कि.मी. (चिंगलपेट से टिंडीवनम खंड), 0.000 कि.मी. से 27.800 कि.मी. और 122.000 कि.मी. से 417.000 कि.मी. (चैनई से डिंडिगुल खंड) तक के भूखंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात प्राधिकरण कहा गया है) को सौंपा था;

और उक्त अधिनियम की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, प्राधिकरण ने तमिलनाडू राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 के 121.000 कि.मी. (टिंडीवनम के पास) से 192.250 कि.मी. (ऊलून्डूरपेट के पास), (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त खंड कहा गया है), तक के खंड को दो लेन से चार लेन बनाने, विकास करने प्रबंधन और प्रचालन के लिए मैसर्स जीएमआर ऊलून्डूरपेट एक्सप्रैसवैस प्रा. लि. जिसका रिजस्ट्रीकृत कार्यालय स्कीप हाऊस, संख्या 25/1, संग्रहालय रोड, बेंगलौर - 560025 में है (जिसे इसमें इसके पश्चात रियायतग्राही कहा गया है) के साथ करार किया है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग सेक्शन/राष्ट्रीय राजमार्गे पर स्थायी पुलों/अस्थायी पुलों के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा फीस का संग्रहण) नियम, 1997 के नियम 3 के साथ पिटत राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की खंड 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त खंड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन में अंतर्ग्रस्त व्यय, विनिदत्त पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात परिमाण तथा प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किये गये करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, यह अधिसूचित करती है कि उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त खंड के उपयोग के लिए नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट यानों के प्रकार पर उसके स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट आधार

फीस दरों पर फीस उदग्रहीत करेगी और उक्त रियायतग्राही को वाणिज्यिक प्रचालन या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से ही इनमें से जो भी पश्चात् हो, उक्त करार में यथाविनिर्दिष्ट समाप्ति तक फीस सगृहीत और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है;

सारणी

क्रम संख्या	यान का प्रकार	आधार फीस प्रति यान प्रति फेरा फीस की दर (रूपए प्रति कि.मी.)
1.	2.	3.
1.	कार, यात्री वैन अथवा जीप	0.40
2.	हल्के वाणिज्यिक यान (एल सी वी)	0.70
3.	ट्रक, बस	1.40
4.	बहुधुरीय यान (>2 धुरीय)	2.25

टिप्पण:-

- 1. इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए :-
- (क) "वास्तविक फीस" से उक्त खंड के उपयोक्ताओं से प्रभारित निम्नलिखित के आधार पर व्युत्पन्न वास्तविक फीस अभिप्रेत है ;
 - (क) उक्त खंड की लम्बाई (कि.मी.) में, और
 - (ख) उक्त सारणी के स्तंभ (3) में आधार फीस की दर और जो एक रूपये के निकटतम पूर्णांक में होगी ।
- (ख) "वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको उक्त खंड पर वाणिज्यिक प्रचालन प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किए गए करार के उपबन्धों के अनुसार उक्त खंड के पूरा होने पर, यथास्थिति, पूर्णता प्रमाणपत्र अथवा अनंतिम प्रमाणपत्र, जारी किए जाने के पश्चात् प्रारंभ होता है।
- (ग) दिन पद से 24 घंटे की निरंतर अवधि अभिप्रेत है।
- (घ) संदेय फीस के सम्बंध में "रथानीय यातायात" से उक्त सारणी के क्रम संख्या 1 में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रवर्ग से अभिप्रेत है, रथानीय यातायात के निम्नलिखित प्रवर्ग अभिप्रेत है अर्थात् :-
- (i) "रथानीय यातायात प्रवर्ग I" के अंतर्गत आने वाले प्रयोक्ता सम्मिलित है
 - (अ) ऐसे ग्रामों, करबों या शहरों के निवासी जिनकी सीमा फीस संग्रहण बूथ के दस कि.मी. के घेरे के भीतर आती है।
 - (आ) फीस संग्रहण बूथ के दस कि.मी. के घेरे के भीतर अवस्थित स्थापन या औधोगिक ईकाइयाँ
 - (इ) ऐसे स्थापनों या औद्योगिक ईकाईयों के कर्मचारी, जो कार्यालय फीस संग्रहण बूथों के दस_र कि.मी. के घेरे के भीतर अवस्थित हैं या उनका कार्यालय है और
 - (ई) स्वनियोजित व्यक्ति या कारोबारी जिनका कार्य स्थल फीस संग्रहण बूथों के दस कि.मी. के घेरे के भीतर अवस्थित है

- (ii) "स्थानीय यातायात प्रवर्ग II के अंतर्गत आने वाले प्रयोक्ता सम्मिलित है
 - (अ) ऐसी ग्रामों, करबों या शहरों के निवासी जिनकी सीमा फीस संग्रहण बूथों के दस से अधिक किन्तु बीस कि.मी. तक के घेरे के भीतर आती है ।
 - (आ) फीस संग्रहण बूथ के दस कि.मी. से अधिक किन्तु बीस कि.मी. तक के घेरे के भीतर अवस्थित या स्थापन औधोगिक ईकाईया है ।
 - (इ) ऐसे स्थापनों या औधोगिक ईकाइयों के कर्मचारी जो फीस संग्रहण बूथों के दस कि.मी. से अधिक किन्तु बीस कि.मी. तक के घेरे के भीतर अवस्थित है या जिनका कार्यालय स्थित है।
 - (ई) स्वनियोजित व्यक्ति या कारोबारी जिनका कार्य स्थल फीस संग्रहण बूथ के दस कि.मी. से अधिक किन्तु बीस कि.मी. तक के घेरे के भीतर है
- (ड) "समाप्ति की तारीख " से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किया गया उक्त करार, उक्त करार के उपबंधों के अनुसरण में समाप्त होता है या समाप्ति की सूचना द्वारा समाप्त किया जाता है।
- (च) उन शब्दों और पदों के जो इस अधिसूचना में प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है किन्तु उक्त खंड के सम्बन्ध में प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किए गए करार में परिभाषित है वहीं अर्थ होंगे जो उक्त करार, में उनके हैं।
- 2. चालू वर्ष के लिए फीस की वास्तविक दर की संगणना और प्रत्येक वर्ष 1 सितम्बर से प्रभावी उसका पुनरीक्षण निम्ननुसार किया जाएगा:-

आधार फीस X <u>डब्लयू पी आई-बी</u> X उक्त खंड' की लम्बाई (कि.मी. में) <u>डब्लयू पी आई-ए</u>

जहां

- (i) डब्ल्यू पी आई से आर्थिक सलाहकार, वाणिज्यिक और उधोग मंत्रालय भारत सरकार के कार्यालय द्वारा जारी किया गया थोक कीमत सूचकांक अभिप्रेत है ।
- (ii) डब्ल्यू पी आई-ए = जून 1997 को थोक कीमत सूचकांक
- (iii) डब्ल्यू पी आई-बी = फीस पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की समाप्ति के लिए थोक कीमत सूचकांक उपलब्ध है ।
- 3. जब किसी यान को किसी दिन उक्त खण्ड को एक दिन में एक से अधिक बार पार करना हो, तो प्रयोक्ता के पास यह विकल्प होगा कि वह पहले ही चक्कर में पथकर प्लाजा को पार करते समय उपरोक्त

सारणी के स्तम्भ तीन में यथाविनिर्दिष्ट दरों पर अनेक चक्करों के लिए फीस का डेढ़ गुना संदाय कर दे। यदि उसी यांत्रिक यान को उक्त खंड का पूरे मास में निरंतर और बार-बार या इसके परे भी प्रयोग करना हो तो यान का स्वामी उक्त सारणी के स्तम्भ तीन में यथाविनिर्दिष्ट उसको लागू तीस एकल दरों के समतुल्य प्रभारों को संदाय करके मासिक पास प्राप्त कर सकता है।

- 4. निम्नलिखित प्रकार के यानों के संबंध में कोई फीस प्रभारित या संग्रहीत नहीं की जाएगी, अर्थात:-
 - (क) ऐसे यान -
 - (i) जो "अति महत्वपूर्ण व्यक्ति " प्रतीक वाले हैं या शासकीय रूप से निम्नलिखित के हैं :-
 - (अ) भारत के राष्ट्रपति;
 - (आ) भारत के उपराष्ट्रपति;
 - (इ) राज्य के राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्रों के उप-राज्यपाल;
 - (ई) भारत के राजकीय दौरे पर उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति;
 - (ज) "सी जी"/ "सी सी" नंबर प्लेटों वाली कारों का उपयोग करने वाले भारत में रह रहे विदेशी राजनियक:
 - (क) राज्य सभा के सभापति या लोक सभा के अध्यक्ष या राज्य विधान परिषद या राज्य विधान सभा के अध्यक्ष या केंद्रीय अथवा राज्य मंत्री अथवा लोक सभा या राज्य सभा या राज्य विधान मंडलों के विपक्ष के नेता जिनकी हैसियत कैबिनेट मंत्री की है, यदि वे स्वयं यान में बैठें हों, या
 - (ऋ) सम्पूर्ण देश में संसद सदस्य, या अपने राज्य किसी राज्य की विधान सभा का सदस्य या राज्य की विधान परिषद का सदस्य, यदि वह, यथास्थिति, संसद अथवा राज्य के संबंधित विधान मंडल द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र प्रस्तुत करता है;
 - (ii) शौर्य पुरस्कारों अर्थात् परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र के विजेता यदि ऐसा पुरस्कार प्राप्तकर्ता ऐसे पुरस्कार के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित किया गया अपना फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करता है ;
 - (ख) रक्षा यान, जिनके अतर्गत वे यान भी है जो भारतीय पथकर (सेना और वायुसेना) अधिनियम 1901 और उसके अधीन बनाए गए नियमों (नौसेना को यथा विस्तारित) के उपबन्धों के अनुसार छूट के पात्र हैं।
 - (ग) पुलिस यान, अग्नि शमन यान, एम्बुलेंस, अन्त्येष्टि यान, डाक और तार विभाग के यान, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के कर्त्तव्यारूढ़ यान ।
 - 5. रियायतग्राही निम्निलिखित दरो से अधिक कोई फीस वसूल नहीं करेगा अर्थात्ः

(क) कार/जीप/वैन के लिए

(i) स्थानीय यातायात प्रवर्ग 1: 150.00 रूपये का मासिक पास

(ii) स्थानीय यातायात प्रवर्ग 2: 300.00 रूपये का मासिक पास

- (ख) बसों के लिए: स्कूली छात्रों को ले जाने वाली स्कूल बसों के लिए पथकर प्लाजा पार करने के लिये स्कूल के प्राचार्य के लिखित अनुरोध के साथ स्कूल की मान्यता तथा बस का रिजस्ट्रीकरण दर्शाने वाले दस्तावेजों की प्राप्ति पर एक हजार रूपये (1000 रूपये) की दर से मासिक पास का जारी किये जायेगा।
- (ग) हल्के वाणिज्यिक यान/दूक (स्थानीय परिवहन प्रचालक):-स्थानीय परिवहन प्रचालकों कों 20 कि.मी. के भीतर उन्हें चलानें का सबूत अर्थात् स्पष्ट रूप से वाहन की वापसी के ब्योरे विनिर्दिष्ट करते हुए प्रारम्भिक और अन्तिम स्थान के लिए माल का चालान प्रस्तुत करने पर रियायती फीस ली जाएगी। ऐसे परिवहन के लिए, प्रत्येक प्रवेश पर दूकों के लिये पच्चीस रूपये (25 रूपये) और हल्के वाणिज्यिक वाहनों के लिये पन्द्रह रूपये (15 रूपये) की फीस होगी:

परन्तु, जहां स्थानीय यातायात द्वारा स्वतंत्र उपयोग के लिए पृथक सेवा लेन खुली हुई है वहाँ ऐसे वाहनों से चार लेन के राजमार्ग का उपयोग करने पर ही रियायतग्राही फीस उद्ग्रहीत और संग्रहीत करेगा।

- 6. किसी ऐसे यांत्रिक यान से कोई फीस उदगृहीत और संग्रहीत नहीं की जाएगी जो उक्त सारणी के अंतर्गत नहीं आते है ।
- 7. रियायतग्राही, नियत तारीख से कम से कम दस दिन पहले इस अधिसूचना का सार कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में (जिनमें से एक स्थानीय भाषा में होगा) वाणिज्यिक प्रचालन कि तारीख से कम से कम दस दिन पहले प्रकाशित करेगा, जिसमें इस अधिसूचना के उपबन्धों के अनुसार इस प्रकार की नियत तारीख का भी उल्लेख होगा और सार को पुनरीक्षित फीस को प्रभाव देने से दस दिन पहले पुनः प्रकाशित करेगा।
- 8. रियायतग्राही ऐसे किसी अधिकारी को फीस संग्रहण के मार साधक के रूप में नामनिर्दिष्ट करेगा जो रियायतग्राही के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि फीस का संग्रहण करार की गई दरों से अधिक पर नहीं हो रहा है और फीस का संग्रहण सड़क उपयोक्ताओं को और उससे संबंधित विषयों के लिए असम्यक् कठिनाई पहुँचाए बिना सहज रूप से हैं।
- 9. फीस की दर, फीस के संदाय से छूट प्राप्त यानों के प्रवर्ग और रियायतग्राही का नाम, पता और टेलीफोन संख्या, जिसे शिकायत, यदि कोई हो, संबोधित की जा सकेगी पथकर बूथों से 500 मी. आगे, पथकर बूथों से 100 मी. आगे और पथकर बूथों पर भी सहजदृश्य रूप से और प्रमुख रूप से संप्रदर्शित की जाएगी और संप्रदर्शन बोर्ड की ऊंचाई और अक्षरों का आकार इस प्रकार का होगा कि चालकों के लिए संप्रदर्शन बोर्ड का पढ़ना आसान हो सकें।
- 10. उपयोक्ताओं से प्रभारित की जाने वाली वास्तविक फीस की संगणना रियायतग्राही द्वारा की जाएगी और प्रतिवर्ष 31 मार्च के बाद किंतु पुनरीक्षित दर प्रभावी होने से कम से कम 45 दिन पहले,

1186 GT/09-2

यथासम्भव शीघ्र विधिमान्यता के लिए प्राधिकरण को भेजी जाएगी जिससे कि प्राधिकरण, उक्त प्रस्ताव की प्रप्ति की तारीख से 15 दिन के भीतर कोई टीका टिप्पणियां कर सके या स्पष्टीकरण यदि कोई हो मांग सके और यदि प्राधिकरण इस अवधि के दौरान कोई टीका टिप्पणी नहीं करता है या स्पष्टीकरण नहीं मांगता है तो रियायतग्राही द्वारा यथा प्रस्तावित पुनरीक्षित फीस प्राधिकरण द्वारा पुष्टि की गई मानी जाएगी।

[फा. सं. एन एच ए आई/13013/447/सी.ओ./08-09/जीसी विल्लूपुरम (121.0-192.25) बीओटी] प्रभाकर, उप-सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2009

S.O.862(E).—Whereas, by notifications of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport (Road Wing) number S.O.393 (E), dated 12th May, 1998 and number S.O.78 (E), dated 4th February, 1999, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), hereinafter referred to as the said Act, the Central Government had entrusted the stretches from Km. 27.800 to Km. 122.000 (Chingelpet-Tindivanam section), Km. 0.000 to Km. 27.800 and Km. 122.000 to Km. 417.000 (Chennai-Dindigul section) respectively of National Highway No. 45 in the State of Tamil Nadu to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the Authority);

And whereas, pursuant to the powers conferred by section 14 of the said Act, the Authority has entered into an agreement with M/s GMR Ulundurpet Expressways Private Limited, having its registered office at SKIP HOUSE, No.25/1, Museum Road, Bangalore-560025 (hereinafter referred to as the Concessionaire), inter alia for the development, operation and maintenance of the existing two lane section into four lane divided carriageway section from Km. 121.000 (near Tindivanam) to Km. 192.250 (near Ulundurpet) of National Highway No. 45 in the State of Tamil Nadu (hereinafter referred to as the said section);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways (Collection of Fees by any person for the Use of Section of National Highways/Permanent Bridge/Temporary Bridge on National Highway) Rules, 1997, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire, hereby levies fee at the base rate specified in column (3) of the following Table, on the category of vehicles specified in column (2) thereof, for the use of the said section and authorises the Concessionaire to collect and retain the said fee on and from the date of commercial operation or

publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date, namely:-

Table

S. No.	Category of Vehicles	Fee at the base rate per kilometer per vehicle for one way trip (in rupees)
$\overline{(1)}$	(2)	(3)
1	Car, passenger van or jeep	0.40
2	Light Commercial Vehicles	0.70
3	Truck, Bus	1.40
4	Multi Axle Vehicle (>2 axle)	2.25

Notes:-

- 1. For the purposes of this notification,-
 - (a) "actual fee" means the fee actually charged from the users of the said section on the basis of-
 - (i) its length in kilometers; and
 - (ii) fee at the base rate as shown in column (3) of the above Table,

and shall be rounded off to nearest one rupee;

- (b) "date of commercial operation" means the date on which commercial operation of the said section begins after issue of the completion certificate or the provisional completion certificate, as the case may be, by the Independent Consultant, upon completion of the said section in accordance with the provisions of the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire;
- (c) "day" shall mean a continuous period of twenty-four hours;
- (d) "local traffic", in relation to the fee payable for the category of vehicles specified against S.No.1 of the above Table, means the following categories of local traffics, namely:-
 - (i) "local traffic category I" which shall include users being-

- (A) residents of villages, towns or cities the boundaries of which are within a radius of ten kilometers from the toll plaza;
- (B) establishments or industrial units which are located within a radius of ten kilometers from the toll plaza;
- (C) employees of establishments or industrial units which are located or which have their offices within a radius of ten kilometers from the toll plaza; and
- (D) self employed persons or businessmen having their place of work within a radius of ten kilometers from the toll plaza;
- (ii) "local traffic category II" which shall include users being-
 - (A) residents of villages, towns or cities the boundaries of which are within a radius of more than ten kilometers but within twenty kilometers from the toll plaza;
 - (B) establishments or industrial units which are located within a radius of more than more than ten kilometers but within twenty kilometers from the toll plaza;
 - (C) employees of establishments or industrial units which are located or have their offices within a radius of more than more than ten kilometers but within twenty kilometers from the toll plaza; and
 - (D) self employed persons or businessmen having their place of work within a radius of more than ten kilometers but within twenty kilometers from the toll plaza;
- (e) "termination date" means the date on which the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire expires pursuant to the provisions of the said agreement or is terminated by termination notice;
- (f) words and expressions used herein and not defined but defined in the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire in respect of the said section shall have the same meaning as assigned to them respectively in the said agreement.

2. The actual fee and revision thereof effective from the 1st September every year shall be computed as follows:-

 $\begin{array}{ccc} & & WPI\text{-}B \\ Base Fee & X & \underbrace{ & & X & length \ of \ the \ said \ section \ in \ kilometer}_{WPI\text{-}A} \end{array}$

where -

- (i) WPI is the Whole Sale Price Index released by the Office of the Economic Advisor, Ministry of Commerce and Industry, Government of India;
 - (ii) WPI-A is the Wholesale Price Index as on June, 1997;
- (iii) WPI-B is the Wholesale Price Index available for the end of the preceding financial year.
- 3. When the same vehicle has to cross the said section more than once in a day, the user shall have the option to pay fee for multiple trips at the rate one and half times the rate specified in column (3) of the above Table while crossing the toll plaza in the first trip itself, or where such vehicle has to use the said section continuously and frequently for the entire month, the user may have a monthly pass at the rate thirty times the rate so specified in Column (3) of the above table.
- 4. No fee shall be charged or collected in respect of the following vehicles, namely:-

(a)Vehicles-

- (i) having VIP symbols or officially belonging to-
- (A) the President of India;
- (B) the Vice-President of India;
- (C) the Governor of a State and the Lt. Governor of a Union territory;
- (D) a Foreign dignitary on State visit to India;

(E) a Foreign Diplomat stationed in India using cars with "CD"/"CC" number plates;

(F) the Chairman of Rajya Sabha or the Speaker of Lok Sabha or the Chairman of State Legislative Council or the Speaker of State Legislative Assembly or a Minister for the Union or State or the Leader of Opposition in Lok Sabha or Rajya Sabha or State Legislatures having the Status of Cabinet Minister, if he is sitting in the vehicle; or

- (G) a Member of Parliament in the entire country or a Member of Legislative Assembly of a State or a Member of Legislative Council of a State, in the respective State, if he produces his identity card issued by the Parliament or concerned Legislature of a State, as the case may be;
- (ii) belonging to winner of Gallantry awards such as Param Vir Chakra, Ashok Chakra, Maha Vir Chakra, Kirti Chakra, Vir Chakra and Shaurya Chakra, if such awardee produces his photo identity card duly authenticated by the Competent Authority for such award;
- (b) Defence vehicles, including those eligible for exemption in accordance with the provisions of the Indian Toll (Army and Air Force) Act, 1901 and the rules made there under (as extended to Navy);
- (c) Police vehicles, Fire fighting vehicles, Ambulances, Funeral vans, Post and Telegraph Department's vehicles, Central and State Government vehicles on duty.
- 5. Concessionaire shall not collect fees from local traffic in the excess of the following discounted rates-
 - (a) car, van or jeep:
 - (i) Local Traffic Category I:

Monthly pass of Rs.150.00

- (ii) Local Traffic Category II: Monthly pass of Rs.300.00
- (b) Buses.- Monthly passes at the rate of Rs.1000 (Rupees one thousand) for school buses carrying school students crossing the toll plaza may be given after obtaining written request of the school principal along with the document showing recognition of the school and the registration of the school bus.
- Commercial Vehicles / Trucks.-Concession (c) Light Local Transport Operators the rate of Rs.25.00 (Rupees at Rs.15.00 (Rupees for each entry and twenty five) for trucks fifteen) for Light Commercial Vehicles for each entry shall be given on production of proof for plying within a radius of twenty kilometers such as goods challan showing its origin and destination and clearly specifying the return details of the vehicle:

Provided that where a separate service lane is opened for free use by local traffic, the Concessionaire shall levy and collect fee from such local traffic only if they use the said section.

- 6. No fee shall be levied and collected from a mechanical vehicle which is not specified in the table above.
- 7. The concessionaire shall publish substance of this notification including the date of commercial operation in two local newspapers (one of which shall be in vernacular language) at least ten days prior to the date of commercial operation and also ten days prior to giving effect to revised fee.
- 8. The Concessionaire shall nominate an officer as in-charge of fee collection and the Concessionaire as well as the said officer shall be jointly and severally responsible for ensuring that fee is collected at the specified rates smoothly, without causing undue hardship to the road users and also for all matters connected therewith.
- 9. The rate of fee, the category of vehicles exempted from payment of fee and the name, address and telephone number of Concessionaire to whom complaints, if any, should be addressed, shall be conspicuously and prominently displayed 500 meters ahead of the toll plaza, 100 meters ahead of the toll plaza and at the toll plaza also, the height of display boards and size of letters being such that the driver can easily read the display boards.
- 10. The actual fee to be charged from users shall be computed by the concessionaire and sent to Authority for validation as soon as possible after 31st March in every year but at least forty-five days before the revised rate is to be effective so as to enable the Authority to provide any comments or seek clarifications, if any, within a period of fifteen days from the date of receipt of the said proposal and if the Authority does not offer comments or seek clarifications during this period, the revised fee, as proposed by the Concessionaire, shall be deemed to have been confirmed by the Authority.

[F. No. NHAI/13013/447/CO/08-09/GC-Villupuram (121.0-192.25)BOT]
PRABHAKAR, Dy. Secy.